

पटना में दिनांक-05 जुलाई, 2022 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

ऊर्जा विभाग

1. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० को तीन किस्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

2. गया जिलान्तर्गत फल्गू नदी के बाँये तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराने का कार्य, पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 334.3833 करोड़ रुपये (तीन सौ चौतीस करोड़ अड़तीस लाख तैतीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति तथा गया जिला के फल्गू नदी के बायें तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराने हेतु निर्माणाधीन रबर डैम के आस पास नगरीय क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त करने हेतु नाला निर्माण कार्य इस योजना के अभिन्न अंग के रूप में चालू एकरारनामा के तहत जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य की स्वीकृति।

2. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

3. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-4 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹115,67,00,000/- लाख (एक सौ पंद्रह करोड़ सड़सठ लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | |
|---|-------------|
| 4. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-9 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹120,16,00,000/- (एक सौ बीस करोड़ सोलह लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में। | 4. स्वीकृत। |
|---|-------------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | |
|--|-------------|
| 5. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-7 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹61,77,00,000/- (एकसठ करोड़ सतहत्तर लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में। | 5. स्वीकृत। |
|--|-------------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | |
|---|-------------|
| 6. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-2 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹67,85,00,000/- (सड़सठ करोड़ पचासी लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में। | 6. स्वीकृत। |
|---|-------------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | |
|---|-------------|
| 7. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-8 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹59,11,00,000/- (उनसठ करोड़ ग्यारह लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में। | 7. स्वीकृत। |
|---|-------------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-3 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹112,89,00,000/- (एक सौ बारह करोड़ नवासी लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-5 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹116,09,00,000/- (एक सौ सोलह करोड़ नौ लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।
9. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-6 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹45,66,00,000/- (पैंतालीस करोड़ छियासठ लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

11. आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय-2 के अंतर्गत पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, danapur, Phulwarisharif and Adjoining area के अंतर्गत Catchment-1 योजना हेतु सेंटेज सहित कुल राशि ₹258,31,00,000/- (दो सौ अठावन करोड़ एकतीस लाख) रुपये मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति के संबंध में।
11. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

12. "बिहार फाइलेरिया नियंत्रण तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2022" की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

13. बिहार परिवार न्यायालय (संशोधन) नियमावली, 2022 की स्वीकृति के संबंध में। 13. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

14. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत शोध संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्तों के विनियमन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली, 2016 को निरसित करते हुए बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शोध संवर्ग नियमावली, 2022 की स्वीकृति के संबंध में। 14. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

15. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 एवं 78 (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा की शर्तें तथा परामर्शदातृ समिति के सदस्यों की भत्तों की संदाय) (संशोधन) नियमावली 2008 समय-समय पर यथा संशोधित, में संशोधन के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा की शर्तें तथा परामर्शदातृ समिति के सदस्यों की भत्तों की संदाय) संशोधन नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। 15. स्वीकृत।

वित्त विभाग

16. CFMS, WAMIS एवं HRMS को लागू करने में Project Management Consultancy (PMC) एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा अतिरिक्त वित्तीय कार्य के लिए M/s PwC Pvt. Ltd. एवं M/s IPE Global Pvt. Ltd. की अधिप्राप्ति एवं इस पर आकलित राशि ₹3,80,94,135/- (तीन करोड़ अस्सी लाख चौरानबे हजार एक सौ पैंतीस) रुपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17. राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रू० 603,68,00,000/- (रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति। 17. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

18. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु बगहा (प० चम्पारण), भोरे (गया), दाउदनगर (औरंगाबाद), बाराचट्टी (गया) में नये 2x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन, नवीनगर (औरंगाबाद) में 3x50 एम०भी०ए०, 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं इससे संबंधित संचरण लाईन के निर्माण की राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन स्पेशल प्लान (बी०आर०जी०एफ०) मद में प्राप्त राशि से करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
18. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

19. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के 220 के०वी० एवं 132 के०वी० संचरण लाईनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (R&M) के तहत रिकंडक्टिंग करने हेतु कुल 498,55,00,000/—(चार सौ अठानवे करोड़ पचपन लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
19. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

20. 15वें वित्त आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 एवं अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा प्रशमन कोष (SDMF) के गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध में।
20. स्वीकृत।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

21. बिहार पत्र प्रतिनिधि मान्यता नियमावली-2008 की कंडिका -3 (2) में संशोधन के संबंध में।
21. स्वीकृत।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

22. बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली-2019 की कंडिका 8 (3) में संशोधन के संबंध में।
22. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

23. नमामि गंगे परियोजना (Namami Gange Programme with 100% central sector support) के तहत रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन शहर में Interception & Diversion (I&D) एवं Sewerage Treatment Plant (STP) के निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत रूपया 67,28,00,000/— (सड़सठ करोड़ अठाईस लाख रुपये) मात्र, जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रूपया 63,89,00,000/—(तिरेसठ करोड़ नवासी लाख रुपये) मात्र पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से सेंटेंज की राशि रूपया 3,39,00,000/—(तीन करोड़ उनचालीस लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।
23. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

24. "बिहार विधान सभा, पटना में संग्रहालय का निर्माण कार्य"
का प्रशासनिक स्वीकृति लागत राशि ₹4876.37 लाख
(अड़तालीस करोड़ छिहत्तर लाख सैतीस हजार रुपये)।

24. स्वीकृत।